

—: आदेश :—

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनसिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 11.05.09 से 25.05.09 तक Induction /Foundation Course हेतु निम्न चिकित्सा अधिकारियों को मनोनित किया जाता है :—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदस्थापन स्थान
1.	डा० सत्येन्द्र पंचोली, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, मसूदा (अजमेर)
2.	डा० राजकुमार काबरा, चि०अ०	सामान्य चिकित्सालय, भीलवाडा
3.	डा० प्रकाश कुमार, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बलू (नागौर)
4.	डा० संजीव कुमार शर्मा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, सोदा (टोंक)
5.	डा० अभिलाषा बंसल, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, खाजूवाला (बीकानेर)
6.	डा० मोतीलाल सोनी, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, तारानगर (चुरू)
7.	डा० नीरज सुखीजा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, राजियासर (श्रीगंगानगर)
8.	डा० सुखपाल सिंह बरार, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, धोलीपाल (हनुमानगढ़)
9.	डा० मुकेश मालव, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, फतेहपुर (बांरा)
10.	डा० परमानन्द गुप्ता, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, बडाखेडा (बून्दी)
11.	डा० विष्णु प्रसाद गुप्ता, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, भवानीमण्डी (झालावाड़)
12.	डा० लालसिंह भीणा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, कनवास (कोटा)
13.	डा० अमरसिंह भीणा, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, टोडाभीम (करौली)
14.	डा० नरेश सिंहल, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, वजीरपुर (स०माधोपुर)
15.	डा० श्याम बिहारी मालव, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, बोरी (बांसवाड़ा)
16.	डा० कमल कुमार शर्मा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, कटूण्डा (चितौडगढ़)
17.	डा० बनवारी लाल भीणा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, रामगढ (झूंगरपुर)
18.	डा० महेश सोमानी, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, अरनोद (प्रतापगढ़)
19.	डा० नागेन्द्र पाल रिंह, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, ओधा (राजसमंद)
20.	डा० मुकेश काबरा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, ठामला (उदयपुर)
21.	डा० मोतीलाल खत्री, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, रानीगांव (बाडमेर)
22.	डा० महावीर प्रसाद, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, फलसून्द (जैसलमेर)
23.	डा० खुशाल सुन्देशा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, सन्थू (जालोर)
24.	डा० बलवीर सिंह शेखावत, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, बावडी (जोधपुर)
25.	डा० श्याम सुन्दर सोनी, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, बाबरा (पाली)
26.	डा० नगेन्द्र सिंह, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, पडिव (सिरोही)
27.	डा० अनमोल खण्डेलवाल, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र गढ (दौसा)
28.	डा० दीपा गर्ग, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, मनिया (धौलपुर)
29.	डा० संजीव कुमार गुप्ता, ग्रा०चि०अ०	एम.सी.डब्ल्यू.सी., कोहराना (अलवर)
30.	डा० मानसिंह, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र जनूथर (भरतपुर)
31.	डा० राजेन्द्र कुमार कुमावत, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र खेजरोली (जयपुर प्रथम)
32.	डा० मनीष खण्डेलवाल, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, मोजमाबाद (जयपुर द्वितीय)
33.	डा० जय प्रकाश पंकज, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र छापोली (झुन्झुनू)
34.	डा० राजेन्द्र कुमार शर्मा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र थोई (सीकर)
35.	डा० मोहित डाबी, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र बनेडा (भीलवाडा)

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रोग्राम में भाग लेने हेतु

प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक: पं.(6)ट्रेनिंग(पीएल.2)आरएचएसडीपी / 2007 / 4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसरण में प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि उनके वेतन से वसूली की जावेगी एवं सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वंय की होगी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त नमोनित प्रशिक्षणार्थी को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनित करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो, साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सक को यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र को भी) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : ५-५-०९

क्रमांक: राजपत्रित/ट्रेनिंग/2009/ 168

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी., मुख्यालय।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ-7(6)/एस.आई.एच.एफ./आई.एन.डी./ट्रेनिंग/2007/006 दिनांक 04.04.09 के क्रम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावे ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं रवारथ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दिनांक 10.05.09 को साथ प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुये कार्य मुक्त करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रूम, मुख्यालय को आदेश की प्रति भिजवाकर लेख है कि उक्त आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय संबंधित की वेबसाइट पर तुरन्त डिलावाने का श्रम करें।
9. आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर।